भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2065
30.07.2021 को उत्तर के लिए

गिद्धों का संरक्षण

2065. श्री धनुष एम.कुमार:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री जी.सेल्वम:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री विजय कुमार दुबे:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में गिद्ध संरक्षण के लिए एक कार्ययोजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार वर्ष 2006 में तैयार की गई गिद्धों की संरक्षण योजना को लागू करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु सहित देश में नए गिद्ध संरक्षण केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार में मौजूद गिद्धों की नौ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्तूबर, 2020 को आयोजित हुई अपनी 59 बैठक में भारत में गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, 2020-2025 की अनुशंसा की है। गिद्ध संरक्षण की कार्य योजना के कुछ महत्वूपर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. मवेशियों के शवों जो गिद्धों का मुख्य भोजन है के पशुचिकित्सीय नॉन स्टीरॉयडल एंटी-इंफलेमेटरी औषधियों (एनएसएआईडी) द्वारा विषाक्तन करने की रोकथाम और व्यावसायिक मोचन से पहले गिद्धों पर नए पशुचिकित्सीय नॉन स्टीरायडल एंटी-इंफलेमेटरी औषधियों (एनएसएआईडी) का सुरक्षा परीक्षण करना।

ii. भारत के औषधि महा-नियंत्रक (डीसीजीआई) की सहायता से गिद्धों के लिए विषैली पाई जाने वाली दवा, यदि हो, को पशुचिकित्सा प्रयोग से हटाना।

iii. देश में अतिरिक्त गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रों (वीसीबीसी) की स्थापना करना।

iv. रेड हैडिड गिद्ध और इजिप्टियन गिद्ध के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में वृद्धि करना, और राज्य में शेष गिद्ध संख्या के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (जोन) की स्थापना करना।

v. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों यानि उत्तर भारत में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद में 4 बचाव केन्द्रों की स्थापना करना। गिद्धों के उपचार के लिए वर्तमान में कोई समर्पित बचाव केन्द्र नही हैं। कर्नाटक में भी एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

(ख) भारत सरकार ने 2006 में जारी गिद्ध कार्य योजना की सिफारिशों के आधार पर देश में गिद्ध संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वर्ष 2006 में डिकलोफेनिक दवा का पशुचिकित्सा प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया था।

ii. वर्ष 2015 में भारत सरकार ने निर्देश दिया कि मानव उपयोग के लिए डिकलोफेनिक की सिंगल डोज शीशी का उपयोग किया जा सकता है।

iii. गिद्धों के बाह्य स्थाने संरक्षण के लिए देश के विभिन्न राज्यों मे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की गई है। केन्द्रों में से चार केन्द्रों यानि हरियाणा में पिंजोर, पश्चिम बंगाल में राजाभातखावा, असम में रानी और भोपाल के निकट केरवा का प्रबंधन बाम्बे प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है। चार और केन्द्र यानि गुजरात में जूनागढ़, ओडिशा में नन्दनकानन, तेलंगाना में हैदराबाद और रांची में मूटा को राज्य प्राणि उद्यानों में स्थापित किया गया है और इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के सहयोग और बॉबे प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी के तकनीकी सहयोग से राज्य वन विभागों द्वारा चलाया जा रहा है।

iv. गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए पिंजौर, हरियाणा और राजाभातखावा, पश्चिम बंगाल केन्द्रों से गिद्ध पुन:बहाली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

v. गिद्धों की शेष संख्या के संरक्षण के लिए देश के विभिन्न भागों में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रों (जोन) की स्थापना के लिए आठ स्थलों को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) भारत में गिद्ध संरक्षण की कार्य योजना में गिद्ध संरक्षण की प्राथमिक कार्यवाहियों में से एक के रूप में त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रों की स्थापना करना को अभिज्ञात किया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

(घ) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गिद्धों की तीन प्रजातियां नामत: जिप्स इंडिकस, जिप्स बेन्गालेन्सिस ओर जिप्स टेन्युरोस्ट्रिस की संख्या में वर्ष 1990 की दशक के दौरान तीव्र गति से कमी हो गई थी। हालांकि, सरकार के ठोस प्रयासों के कारण, इन गिद्ध प्रजातियों की संख्या अब स्थिर हो गई है। गिद्धों की अन्य प्रजातियों की संख्या संबंधी आकलन का समेकन इस मंत्रालय में नही किया जाता है।

(ड.) सरकार द्वारा गिद्धों को सुरक्षित रखने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नवत हैं:

(i) गिद्धों की सभी प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) भारत ने हाल ही में 9 नवम्बर, 2020 को गिद्ध संरक्षण कार्य योजना (2020-2025) की शुरूआत की है।

(iii) भारत सरकार ने मवेशियों का उपचार करने में डिकलोफेनेक औषधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए इसके वाईल आकार को 3 मि.ली. तक प्रतिबंधित किया है।

(iv) मार्केट में उपलब्ध विभिन्न पशुचिकित्सीय नॉन-स्टीरॉयडल एंटी इंफलेमेटरी औषधियों का सुरक्षा परीक्षण करना ताकि गिद्धों पर उनकी विषाक्तता की पहचान की जा सके।

(v) गिद्धों की शेष बची हुई संख्या के संरक्षण के लिए देश के विभिन्न भागों में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना।

(vi) विशेषरूप से पशुचिकित्सा औषधियों के उपयोगकर्ताओं के बीच से जागरूकता बढ़ाना।

(vii) मंत्रालय द्वारा गिद्ध संरक्षण के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए प्रायोजित फिल्में 'द लास्ट फ्लाईट' और 'वैनिशिंग वल्चर्स' का यदा-कदा रेडियों और टेलीविजन में प्रसारण होता रहता है। राज्यों से पशुपालन क्षेत्रों और किसानों को ध्यान में रखकर शिक्षा और जागरूकता सामग्रियों को विकसित करने का अनुरोध किया गया है।

(viii) भारत में आठ गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ix) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) ने बीएनएचएस और रॉयल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, युनाईटेड किंगडम में आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण संगठन के सहयोग से गिद्धों पर शॉर्ट- लिस्ट की गई औषधि मेलोक्सीकैम का सुरक्षा परीक्षण करके डिकलोफेनेक के सुरक्षित विकल्प की पहचान करने के लिए मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान अध्ययन किया है। मेलोक्सिकैम को गिद्धों के लिए सुरक्षित पाया गया था और इसे डिकलोफेनेक के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया गया था।

(x) भारत सरकार, राज्यों को प्रजाति बहाली कार्यक्रम के तहत 'गिद्धों के संरक्षण हेतु वन्यजीव पर्यावासों का विकास नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

****